



उत्तर प्रदेश पुलिस

सब-इंस्पेक्टर (SI)

UTTAR PRADESH POLICE RECRUITMENT & PROMOTION BOARD

उप निरीक्षक /प्लाटून कमांडर /PAC/ अग्निशमन II अधिकारी

भाग – 5

संविधान एवं मूलविधि, उ. प्र. विशेष एवं सामान्य विज्ञान



भारत का शंविधान


(1) शंविधान लक्ष्य	1
(2) भारतीय शंविधान के इत्रोत	2
(3) अनुशूलियाँ	3
(4) शंविधान के भाग	4
(5) प्रस्तावना	4
(6) भाग - 1 शंघ एवं उसके शङ्य क्षेत्र	6
(7) मूल अधिकार	8
(8) शङ्य के नीति निदेशक तत्व	17
(9) मौलिक कर्तव्य	18
(10) शंघ की कार्यपालिका	21
A. शष्ट्रपति	
(11) उपराष्ट्रपति	26
(12) मंत्रिमण्डल	28
(13) शंशद	29
(14) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक	40
(15) शङ्य की कार्यपालिका (भाग-6)	41
A. शङ्यपाल	
(16) शङ्य का विधानमंडल	43
(17) शर्वोच्च न्यायालय	43
(18) उच्च न्यायालय	46
(19) आपातकालीन उपबंध	49
(20) केन्द्र एवं शङ्य शम्बन्ध	54
(21) पंचायतीशाज	58
(22) शंविधान शंशोधन (अनुच्छेद 368)	60
(23) शंवैदानिक एवं गैर शंवैदानिक आयोग	64
(24) नागरिकता	68
(25) प्रधानमंत्री	70

मूलविधि

(1) भारतीय दण्ड शंहिता अधिनियम 1860 एवं दंड प्रक्रिया शंहिता	71
(2) महिला (घरेलु हिंसा) शंरक्षण शम्बन्धी प्रावधान	98
(3) बच्चों के शंरक्षण शम्बन्धी विधिक प्रावधान	107
(4) यातायात नियम, शुडक शंकेत एवं मोटरवाहन अधिनियम	125
(5) पर्यावरण शंरक्षण अधिनियम - 1986	135
(6) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (N.G.T.)	137
(7) वन्य जीव अधिनियम - 1972	137
(8) आयकर अधिनियम - 1961	139
(9) अष्टाचार निरोधक अधिनियम - 1988	146
(10) मानव अधिकार शंरक्षण अधिनियम, - 1993	148
(11) शूयना का अधिकार अधिनियम - 2005	151
(12) शाइबर अपराध	154
(13) शूयना प्रौद्योगिकी अधिनियम - 2000	155
(14) जनहित याचिका	158
(15) महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	160
(16) राष्ट्रीय शुरुका अधिनियम	167
(17) अनुशूचित जाति एवं अनुशूचित जनजाति अधिनियम 1989	168
(18) भूमि शुद्धार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व शम्बन्धी कानून	171
(19) पुलिस एवं प्रशासन	194
(20) 3. प्र. विशेष	204

भौतिक विज्ञान

(1) भौतिक शरियां	217
(2) गति	220
(3) कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा	227
(4) गस्त्रवाकर्षण	228
(5) आवर्त गति एवं तरंग	229
(6) ऊषा	231
(7) वैद्युतिकी	233
(8) चुम्बकत्व	235
(9) प्रकाश	236
(10) इलैक्ट्रोनिक्स एवं नैनो प्रौद्योगिकी	239
(11) नाभिकीय भौतिकी	240
(12) ऐडियोटेलमेंथानिकों के प्रयोग	241
(13) संचार प्रणाली	244




संचार विज्ञान

(1) द्रव्य एवं इसकी ऋणस्थाई	246
(2) पदार्थ की भौतिक ऋणस्थाई का ऊन्तः परिवर्तन	248
(3) परमाणु शंखना	249
(4) ऐडियोएक्टिवता	251
(5) शाशायनिक बन्धता	252
(6) शाशायनिक ऋणिक्रियाएं एवं शाशायनिक शमीकरण	253
(7) ऊम्ल, क्षारक एवं लवण	255
(8) विलयन	257
(9) आवर्त शारणी	259
(10) धातुकर्म	262
(11) धातुएं एवं उनके यौगिक	263
(12) हाइड्रोजन एवं इसके यौगिक	265

(13) ऊदातुएं	266
(14) कार्बनिक वृक्षायन	268
(15) मानव जीवन में वृक्षायन	269
(16) रोकेट ईंधन के प्रकार	270
(17) बहुलक	271
(18) pH	274


जीव विज्ञान

(1) जीव विज्ञान की शाखाएं	275
(2) जंतु जगत	276
(3) कोशिका	278
(4) जंतु अतक	280
(5) पाचन तंत्र	281
(6) पोषण	283
(7) इकत	284
(8) हार्मोन	288
(9) कंकाल तंत्र	291
(10) उत्कर्जन तंत्र	293
(11) श्वसन तंत्र	296
(12) मानव शोग	298
(13) जीव तकनीकी	301



TopperNotes


Unleash the topper in you



TopperNotes
Unleash the topper in you

लोकतंत्र के 3 शर्तें

- विद्यायिका - कानून बनाना
- कार्यपालिका - जो कानून बने हैं, उन्हें क्रियान्वित करना



- न्यायपालिका - उपयुक्त कानून शही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं इस बात की जमीक्षा करना इन तीनों का रिष्ट्रांट माणेस्ट्रिक्यू ने दिया था।

कार्यपालिका :- यह दो प्रकार की होती है।

- अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका :- इसके तहत 'मंत्रीपरिषद्' होती है।
- स्थाई कार्यपालिका :- इसके तहत 'गौकरशाही' होती है।

न्यायपालिका :- शर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

संविधान की पृष्ठभूमि

कुल शदस्य = 389

- | | |
|---|--|
| - 296 शदस्य भिट्ठि भारत से | - 93 शदस्य देशी रियासतों से |
| - भिट्ठा भारत से शदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। | - देशी रियासतों के प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। |
| - शब्दों उदादा शदस्य क्षेत्रकृत प्रति (55 शदस्य) से है। | - शब्दों उदादा शदस्य मैंशूर रियासत (7 शदस्य) से है। |
| 292 शदस्यों प्रतिनों से निर्वाचित | 4 शदस्य शायकत प्रति (कमीशब्द के द्वारा से निर्वाचित) |

संविधान शभा की प्रथम बैठक :- 9 दिसम्बर

1946 अध्यक्ष - सचिवालय शिरहा

संविधान शभा की दूसरी बैठक :- 11 दिसम्बर

1946 स्थायी अध्यक्ष - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद,

उपाध्यक्ष - H. C. मुख्यमंत्री

शालाहकार - B. N. शाव

- संविधान का पहला प्रारूप B. N. शाव ने तैयार किया संविधान का मुख्य प्रारूप B. R. अंबेडकर ने तैयार किया।
- 13 दिसम्बर को जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया गया जो कि 22 जनवरी 1947 को पारा किया गया।

संविधान शभा

- संविधान 1935 में कांग्रेस ने संविधान शभा की मांग की।
- 1938 में कांग्रेस ने यह मांग की कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान शभा का निर्माण किया जाना चाहिए।
- 1940 अंग्रेज प्रस्ताव - इसके तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि संविधान शभा में भारतीय शदस्य होंगे और भारतीय शदस्य ही संविधान बनाएंगे।
- 1942 क्रिप्ट मिशन - इसके तहत पहली बार संविधान शभा एवं इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया।
- 1946 कैबिनेट मिशन - इसकी शिफारिश के आधार पर संविधान शभा का निर्वाचन 4 जुलाई - अंग्रेज 1946 में हुआ। संविधान शभा का चुनाव प्रारंभिक विद्यानमंडल के निम्न शदस्न के शदस्यों द्वारा आनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया। इसके तहत संविधान शभा के शदस्यों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया।
 - (1) मुख्यमंत्री
 - (2) विकास
 - (3) शामान्य

संविधान शभा के शदस्य

उद्देश्य प्रस्ताव

- यह एक प्रकार से संविधान के लिए संविधान की रूपरेखा थी। इसमें संविधान के मूल आदर्शों की स्थापना की गई। यह एक मार्गदर्शिका थी।
- संविधान शभा ने अपने कार्य विभाजन के लिए अनेक समितियों का गठन किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं-

क्र.सं.	समिति	अध्यक्ष
1.	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
2.	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
3.	प्रान्तीय संविधान समिति	शरदार वल्लभ भाई पटेल
4.	मूल अधिकारों एवं फ्लॉटर्स्टोक के समर्थन में शलाहकार समिति	शरदार वल्लभ भाई पटेल
5.	एष्ट्रीय घटज के दंसर्क में तर्द्ध समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
6.	मूल अधिकारों के संर्क में अप समिति	डॉ. बी. कृपलानी
7.	फ्लॉट संस्थाओं के संर्क में अप समिति	एच. टी. मुख्यमंत्री
8.	प्रारूप समिति	शीराज अंबेडकर

प्रारूप समिति :-

- इसमें कुल 7 शदस्य थे।
- अध्यक्ष - शीराज अंबेडकर
- अन्य शदस्य

प्रारूप समिति :-

- इसमें कुल 7 शदृश्य थे ।
- अध्यक्ष - भीमराव अम्बेडकर
- **अन्य शदृश्य -**
 1. गोपाल श्वासी आयंगर
 2. अल्लदी कृष्ण श्वासी अर्यर
 3. के. एस. मुंशी
 4. शहद मोहम्मद शाकुल्ला
 5. बी. एल. मिश्र, श्वारथ्य खाब होने के कारण इसके श्वारथ्य पर एन. माधवराव आए थे ।
 6. डी. पी. खेताज, मृत्यु होने पर इसके श्वारथ्य पर टी. टी. कृष्णामाचारी आए थे ।
- 15 अगस्त 1947 के बाद भारत व पाकिस्तान के विभाजन के बाद शंविधान शभा में 299 शदृश्य रह गए थे ।
- अंतिम रूप से शंविधान पर 284 शदृश्यों ने हस्ताक्षर किए थे । डी. पी. नाशायण एवं तेज बहादुर शपु ने खाब श्वारथ्य के कारण शंविधान शभा से इस्तीफा दे दिया ।
- 22 जुलाई 1947 के बाद शंविधान शभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी ।
- 15 अगस्त 1947 के बाद शंविधान शभा ने विधानमंडल का कार्य भी किया जिसके अध्यक्ष जी. वी. मावलंकर थे ।
- 1948 में शंविधान शभा ने राष्ट्रमंडल की शदृश्यता के लिए मान्यता दे दी ।
- शंविधान शभा में 12 महिला शदृश्य थी । शरोजनी नायडू, ऊजा मेहता, दुर्गा बाई देशमुख एवं अन्य
- 26 नवम्बर 1949 को शंविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन 284 शदृश्यों ने शंविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किये । इसी दिन से 15 अनुच्छेद लागू किये गये । शंविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ।
- शंविधान शभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान की मान्यता दी गयी । इसके बाद भी शंविधान शभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती रही । इसके बाद 1952 में शंताद के गठन के बाद शंविधान शभा पूर्णतया शमाप्त हो गयी ।
- **शंविधान शभा का मूल शंविधान :-** भाग = 22, अनुच्छेद = 395, अनुशुश्यायाँ = 8
वर्तमान में :- भाग = 24 (चार नए भाग हैं - 4A, 9A, 9B, 14A) (गोट- 7 वां भाग 7 वें शंविधान शंशोधन द्वारा शमाप्त कर दिया गया ।)
 अनुच्छेद = 446, अनुशुश्यायाँ = 12

भारतीय शंविधान के ल्लोत

1. **भारत शरकार अधिनियम :-** यह भारतीय शंविधान का मुख्य ल्लोत है । हमारे शंविधान के लगभग 2/3 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं । आपातकाल लगानी की व्यवस्था केन्द्र व राज्यों के बीच विषयों का विभाजन आदि ।
2. **बिटेन/इंग्लैण्ड :-**
 - (1) शंतादीय शासन व्यवस्था
 - (2) कैबिनेट व्यवस्था
 - (3) शामूहिक उत्तरदायित्व की भावना
 - (4) राष्ट्रपति का अभिभाषण
 - (5) रिट जारी करना
 - (6) एकल नागरिकता
 - (7) न्याय के शमका शमानता
 - (8) First Past The Post System (शर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति विजयी होगा)
 - (9) CAG की व्यवस्था, विधि का शासन
3. **अमेरिका :-**
 - (1) मूल अधिकार
 - (2) न्यायिक पुनरावलोकन
 - (3) न्यायिक शर्वोच्चता
 - (4) विधि की शम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law)
 - (5) राष्ट्रपति पर महाभियोग
 - (6) शर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जर्जों को हटाने की प्रक्रिया
 - (7) प्रतावना की शुरुआत “हम भारत के लोग भारत को”
 - (8) उपराष्ट्रपति का पद
4. **आयरलैण्ड :-**
 - (1) नीति निदेशक तत्व
 - (2) राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
 - (3) राज्यशभा में 12 शदृश्यों का मनोनयन
5. **ऑर्ट्रेलिया :-**
 - (1) शमवर्ती शूची
 - (2) शंयुक्त अधिवेशन
 - (3) अन्तर्राजीय व्यापार-वाणिज्य और शमागम
 - (4) प्रतावना का प्रारूप

6. दक्षिण अफ्रीका :-

- (1) संविधान संशोधन
- (2) शहरीकरण के लकड़ियों का निर्वाचन

7. कनाडा :-

- (1) संघात्मक ढंगा - केन्द्र शहरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अविशिष्ट शक्ति केन्द्र के पास होती है।
- (2) शहरीकरण की नियुक्ति (जो कि केन्द्र सरकार द्वारा अस्ट्रप्टपति करता है)
- (3) शुपीम कोर्ट की परामर्शदात्री व्यवस्था

8. फ्रांस :-

- (1) गणतंत्रात्मक व्यवस्था
- (2) द्वंतंत्रता, शमानता बंधुत्व

9. जर्मनी :-

- (1) वाइमर/वीमर गणतंत्र
- (आपातकाल में मूल अधिकारों का निलम्बन)

10. ईरा :-

- (1) मूल कर्तव्य
- (2) न्याय (शामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय) - Preamble

11. जापान :-

- (1) विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया (अनुच्छेद - 21)

अनुशूलियाँ

पहली अनुशूली :- भारत के शहर तथा केन्द्र शासित प्रदेश

दूसरी अनुशूली :- वेतनमान (जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है)

- राष्ट्रपति, शहरीकरण, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानपरिषद् का सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG, UPSC के चैयरमेन व सदस्य।
- वित्तीय आपातकाल के समय इनके वेतन में कटौती की जा सकती है।

तीसरी अनुशूली :- शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

- लोकसभा व राज्यसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य (M.P.), मंत्री, विधानसभा की सदस्यता के उम्मीदवार, विधानसभा से सदस्य (M.L.A.), मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के जज, उच्च न्यायालय के जज, CAG

- तीसरी अनुशूली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा शहरीकरण लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा शहरीकरण की शपथ मूल संविधान में दी गयी है। लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती।

चौथी अनुशूली :- शहरीकरण शहरों के क्षेत्रों का आवंटन

पांचवीं अनुशूली :- अनुशूलित क्षेत्रों और अनुशूलित जनजातिय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध छठी अनुशूली :- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शहरों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में उपबंध

सातवीं अनुशूली :-

- विजयों का विभाजन = संघ शूली - 97, शहर शूली - 66, शमर्ती शूली - 47
- वर्तमान में = संघ शूली - 100, शहर शूली - 61, शमर्ती शूली - 52

आठवीं अनुशूली :- संविधानिक भाषाओं का उल्लेख है।

- मूल रूप से संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गयी है।
- (1967) 21 वें संविधान संशोधन द्वारा 15 वीं भाषा शिंघी को मान्यता दी गयी।
- (1992) 71 वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को मान्यता दी गयी।
- (1) नेपाली (2) कोंकणी
(3) मणिपुरी
- (2003) 92 वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को मान्यता दी गयी।
- (1) संथाली (2) मैथिली
(3) डोगरी (4) बोडी

- वर्तमान में कुल भाषाएं = 22

• अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है।

• हिन्दी व अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया है।

नवीं अनुशूली :- न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण

- (1951) पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस 9 वीं अनुशूली को जोड़ा गया।
- 9 वीं अनुशूली में 22वीं गए अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसमें 1973 के बाद 9 वीं अनुशूली में शामिल किए गए विजयों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

दसवीं अनुशूल्यी :- दल-बदल दो शंखंधित प्रावधान

- (1985) 52 वें शंखितान शंशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुशूल्यी को जोड़ा गया। बाद में 91 वें शंखितान शंशोधन द्वारा इस 10 वीं अनुशूल्यी में परिवर्तन किया गया।

त्यारहवीं अनुशूल्यी :- ग्राम पंचायत/पंचायती राज व्यवस्था

- ग्राम पंचायतों को दिए गए 29 विषय शामिल हैं लेकिन इसमें दो छोटी तक 22 विषय ही दिए गए हैं।
- (1992) 73 वें शंखितान शंशोधन द्वारा इस 11 अनुशूल्यी को शामिल किया गया।

बारहवीं अनुशूल्यी :- नगरपालिकाएं/नगर प्रशासन नगरपालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। 74 वें शंखितान शंशोधन द्वारा इस 12 वीं अनुशूल्यी को शामिल किया गया।

शंखितान के भाग

भाग	अनुशूल्य	विषय
भाग 1	अनु. 1 - 4	शंघ और उक्ता राज्य कीवि
भाग 2	अनु. 5 - 11	नागरिकता
भाग 3	अनु. 12 - 35	मूल अधिकार
भाग 4	अनु. 36 - 51	राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भाग 4(A)	अनु. 51(A)	मूल कर्तव्य
भाग 5	अनु. 52 - 151	शंघ - कार्यपालिका, विधायिका (शंशद), न्यायपालिका, CAG
भाग 6	अनु. 152 - 237	राज्य
भाग 7	7 वें शंखितान शंशोधन द्वारा निरस्त	
भाग 8	अनु. 239 - 242	केन्द्र शासित प्रदेश
भाग 9	अनु. 243	पंचायती
भाग 9(A)		नगरपालिकाये
भाग 9(B)		क्षहकारी शंशाएं
भाग 10	अनु. 244	अनुशूलित जाति और जनजाति कीवि
भाग 11	अनु. 245 - 263	शंघ और राज्यों के बीच शंखंधा

भाग 12	अनु. 264 - 300	वित, सम्पत्ति, शंखितान और वाद
भाग 13	अनु. 301 - 307	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समाज
भाग 14	अनु. 308 - 323	शंघ और राज्यों के अधिन शेवाये
भाग 14(A)	अनु. 323क, 323क्क	अधिकरण
भाग 15	अनु. 324 - 329	निर्वाचन
भाग 16	अनु. 330 - 342	कुछ वर्गों के शंखंधा में विरोध उपबंध
भाग 17	अनु. 343 - 351	राजभाषा
भाग 18	अनु. 352 - 360	आपात उपबंध
भाग 19	अनु. 361 - 367	प्रकीर्ण
भाग 20	अनु. 368	शंखितान का शंशोधन
भाग 21	अनु. 369 - 392	झंथायी, शंकमणकालीन और विरोध उपबंध
भाग 22	अनु. 393 - 395	शंकित नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्रादिकृत पाठ और विशेष

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्षा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की व्यवस्था प्रतिष्ठा और अवसर की शमता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन शब्द में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए।

दृढ़ शंकल्प होकर अपनी इस शंखितान के भाग में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला शप्तमी, शंवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस शंखितान को छंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- शंखितान की प्रस्तावना को शंखितान की कुंजी कहा गया है।
- प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षा व अखण्डता शब्द 42 वें शंखितान शंशोधन द्वारा 1976 ई. में जोड़े गये।
- हमारी प्रस्तावना 4 बारे बताती है-
 - शक्ति का न्यूनता - जनता श्वयं
 - राज्य की प्रकृति - सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, धर्मनिरपेक्षा लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी

- उद्देश्य - न्याय, स्वतंत्रता, समाजता तथा बंधुत्व की भावना
- कब - 26 नवम्बर, 1949 ई. (संविधान दिवस)
- एन. ए. पालकी वाला - इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है।
- कें. एम. मुर्शी - प्रस्तावना संविधान की शज़िनैतिक जन्मकुंडली है।
- फर्नेंट बर्कर - प्रस्तावना संविधान का Key Stone है।
- ठाकुर दास भार्गव - प्रस्तावना संविधान की आत्मा है।
- टी. टी. कृष्णामाचारी - ने प्रस्तावना को “संविधान की आत्मा” कहा है।

हम भारत के लोग :- शक्ति का अन्तीम भारतीय जनता को माना गया है।

राज्य की प्रकृति सम्प्रभु :- सम्प्रभु से तात्पर्य है कि भारत एक डोमिनियन स्टेट नहीं है। वह कभी प्रकार से एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने कभी प्रकार के अंतरिक एवं बाह्य निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के लेता है। यद्यपि भारत राष्ट्रमंडल, UNO, WTO आदि का सदस्य है तथा इनके निर्देशों का पालन भी करता है लेकिन इससे हमारी सम्प्रभुता समाप्त नहीं होती क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना पारस्परिक सहयोग एवं विकास के लिए की गयी है और भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ली है।

समाजवादी :- भारत लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। समाजवाद का तात्पर्य है कि समाज के कभी लोगों को आर्थिक विकास का समान अधिकार हो। इसके तहत कभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और संसाधनों का केन्द्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा। भारत मार्कर्कवादी देश नहीं है, यही कारण है कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनायी है। यद्यपि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हम उत्तरीतर पूँजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अतः समाजवाद का पारम्परिक अर्थ अपार्टीगिक हो रहा है।

पंथनिरपेक्षा :- भारत एक पंथनिरपेक्षा देश है लेकिन हमारी पंथनिरपेक्षता पार्श्वात्य देशों से भिन्न है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है- “राज्य कभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से उदासीन रहेगा अर्थात् राज्य व धर्म के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा।” लेकिन भारत में पंथनिरपेक्षता अलग अर्थ में है। भारत में पंथनिरपेक्षता से तात्पर्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा अर्थात् राज्य

किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा। राज्य किसी धर्म विशेष पर कर नहीं लगाएगा तथा राज्य धर्म से निरपेक्ष रहने की बजाय कभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगा तथा धार्मिक आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लोकतंत्र :- भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता की शासन में भागीदारी सुनिश्चित की गयी है, यद्यपि भारत भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से विशाल देश है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गयी है। इसके तहत संशोधन व्यवस्था को अपनाया गया है और पंचायती राज संस्थाओं का विकास करके जनता की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जा रहा है और उत्तरीतर जनता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है।

गणराज्य :- राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा और प्रत्येक नागरिक राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है।

न्याय :- कभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा शज़िनैतिक न्याय का आश्वासन दिया गया है।

सामाजिक न्याय :- समाज में किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव डैसी जाति, लिंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कभी को समान रूप से गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें कि कभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।

आर्थिक न्याय :- कभी लोगों को समान रूप से रोजगार के अवकाशों की उपलब्धता होगी। कभी लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। राज्य आर्थिक शोषण से बचाव करेगा। सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा तथा रोजगार के अवकाश उपलब्ध कराएगा।

शज़िनैतिक न्याय :- कभी लोगों की मतदान करने का अधिकार, शार्वजनिक मताधिकार तथा कभी वर्गों के लोगों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता :- व्यक्तित्व के विकास के लिए मनुष्य को स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होना अनिवार्य है अतः हमारा संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना कभी प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है।

समानता प्रतिष्ठा व छवरी की समानता

बंधुता :- पारंपरिक लौहार्द को बढ़ाने का प्रयास किया गया है जिससे कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि हो तथा इससे राष्ट्र की एकता और अखण्डता उग्रित हो सके।

प्रश्न :- “क्या प्रस्तावना संविधान का छंग है
अथवा नहीं” शमिका कीजिए ?

उत्तर - 1960 में बारबरी यूनियन केस में यह प्रश्न उभरा कि, प्रस्तावना शंखिदान का भाग है इथवा नहीं। शर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना शंखिदान का भाग नहीं है, लेकिन यह शंखिदान गिर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।

1973 के केशवागढ़ भारती मामले में शर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और माना कि प्रत्यावग शंखिधान का विभिन्न छंग है। इसी प्रकार से 1995 के एल.आर्ड.सी. केस में शर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को ढोहराया।

1. न तो प्रस्तावना विद्यागमंडल को ऋतिरिक्त शक्तियां देती है और न ही उसकी शक्तियां पर नियंत्रण स्थापित करती है।
 2. यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
 3. प्रश्न :- क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ?
 4. उत्तर - शर्वप्रथम 1973 में केशवानन्द भाटी केस में प्रश्न उभरा याचिकाकर्ता का तर्क था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का सार तत्व है अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार का तर्क यह था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का अभिनन छंग है इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें भी संशोधन किया जा सकता है।
 5. न्यायालय ने मध्यम मार्ग अपनाया और यह कहा कि यद्यपि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।
 6. (1976) के 42 वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ गए।

प्रतीतावना की आलोचनाएँ :-

1. यह मौलिक नहीं है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग भारत को, अमेरिका से ली गयी है तथा शेष प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।

- इसके कुछ शब्द स्पष्ट नहीं हैं, जैसे- समाजवाद, पंथनिरपेक्षा
 - इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

ભાગ 1 :- શંધ એવં ત્રણકે રાડ્ય કીત્ર (ક્રિનુચ્છેદ 1-4)

झगुच्छेद 1 :- भारत की राज्यों का संघ कहा गया है यद्यपि भारतीय शिविधान परिसंघात्मक है इसके बावजूद भी शिविधान में कही परिसंघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भ्रीमाशव झम्बेडकर के झगुशार किटी भी तरह की आशंका सौदेश्य परिसंघ का उल्लेख नहीं किया गया है। क्योंकि राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण नहीं किया है। डैशा कि USA में किया गया है/था।

अनुच्छेद 2 :- हमारी शंखद विधि बनाकर किटी
भी प्रदेश को भारतीय शंघ में शामिल कर शक्ति
ह।

કાનુચિદ 3 :-

- लंशट नए शब्द का निर्माण कर सकती है।
 - किसी भी शब्द के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है तथा कम कर सकती है।
 - शब्द की लीमा में बदलाव कर सकती है।
 - शब्द का नाम बदल सकती है।
 - शब्द के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है।

नये शड्य के निर्माण की प्रक्रिया :-

1. नये शज्य से शंखंदित बिल पर शंखुक अधिवेशन नहीं होता है।
 2. नये शज्य के निर्माण के अभी अधिकार केंद्र/शंखद के पास है।
 3. नये शज्य से शंखंदित प्रस्ताव राष्ट्रपति प्रभावित शज्य के विद्यानमंडल के पास भेजता है। इस प्रस्ताव को पारित करने की समय दीमा राष्ट्रपति मिश्चित कर सकता है। इस समय दीमा में बदलाव कर सकता है।
 4. शज्य विद्यानमंडल की अहमति या असहमति का गण शज्य के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
 5. गण शज्य के गठन से शंखंदित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसे शंखद के किसी भी शद्गत में पेश किया जा सकता है।
 6. दोनों शद्गतों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।
 7. राष्ट्रपति इसे प्रगर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।

8. शास्त्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात नया शाड़ी अस्तित्व में आ जाता है।

गोट :- भारत को विनाशी शाड़ों का अविनाशी शंघ कहा गया है। यू.एस.ए. को अविनाशी शाड़ों का अविनाशी शंघ कहा गया है।

अनुच्छेद 4 :- अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किए गए बदलाव जिससे अनुशुश्मा 1 व अनुशुश्मा 4 प्रभावित करती हैं उन्हें शंविधान शंशोधन नहीं माना जाएगा।

गोट :- किसी नए क्षेत्र को भारत में मिलाना तथा किसी भारतीय क्षेत्र को भारत से छलग करने के लिए शंविधान शंशोधन अनिवार्य है।

सीमा विवाद को हल करने के लिए यदि कुछ क्षेत्र अन्य देशों को दिए जाते हैं इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती अर्थात् इसके लिए शंविधान शंशोधन अनिवार्य नहीं हैं। इसके लिए मंत्रिमंडल द्वयं निर्णय ले सकती है।

भारत का एकीकरण

- अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया क्योंकि वहाँ के शासक हरिशंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
- फरवरी 1948 में जूनागढ़ का विलय जनमत शंघह के द्वारा भारत में किया गया था।
- नवम्बर 1948 में हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही द्वारा भारत में विलय किया गया।
- 1954 में पांडुचेरी, माहे, यनम, करैकाल आदि क्षेत्रों को फ्रांस से आजाद कराया गया।
- 1954 में दादर व नगर हवेली पुर्तगालियों से मुक्त हो गए।
- दादर व नगर हवेली का 10 व शंविधान शंशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया।
- गोवा व दमन दीव का 12 वें शंविधान शंशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया।
- पांडुचेरी का 14 वें शंविधान शंशोधन द्वारा भारत में विलय किया गया।
- भारत दंस्कार ने 5 अगस्त 2019 को शाड्यसभा में एक ऐतिहारिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आधिनियम 2019 पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर शाड्य से शंविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और शाड्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र में अपनी विद्यायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विद्यायी वाली केन्द्रशासित क्षेत्र होगा।

शाड़ों का पुनर्गठन

धर आयोग Dhar Commission - 1948

- शर्वप्रथम धर आयोग - 1948 का गठन शाड़ों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। इस आयोग ने भाजा के आधार पर शाड़ों के पुनर्गठन की मांग को अख्याकार कर दिया। इस आयोग के अनुसार और्गेलिक व प्रशासनिक कारकों को ध्यान में दखलकर शाड़ों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

J. V. P. Commission - 1949

- यह आयोग धर कमीशन की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए गठित किया। इस आयोग ने भाजायी आधार पर शाड़ों के पुनर्गठन की मांग को अख्याकार कर दिया। इस आयोग के अनुसार और्गेलिक व प्रशासनिक कारकों को ध्यान में दखलकर शाड़ों को पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- 1953 में झांधप्रदेश पहला शाड्य था जो कि भाजा के आधार पर बना था।
- पोटटी श्रीमल्लू की 56 दिन की हड्डताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गयी जिससे अराजकता का माहौल बन गया और ऐसे में दंस्कार ने दबाव में आकर आगर-फागर में झांधप्रदेश शाड्य की उत्थापना की। इससे अन्य क्षेत्रों में भी भाजायी आधार पर शाड़ों की मांग बढ़ने लगी इसलिए 1953 में “फजल अली” आयोग या शाड्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया।
- आयोग के दंस्कार थे - के. एम. पणिकरन, हृदयनाथ कुंडरु।

फजल अली आयोग/शाड्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाएं (1995)

1. शाड़ों का पुनर्गठन देश की सुरक्षा व अख्याता को ध्यान में दखलकर किया जाना चाहिए।
2. शाड़ों के गठन में शांकृतिक कारकों को ध्यान में दखल जाना चाहिए।
3. शाड्य पुनर्गठन में आर्थिक विकास को महत्व दिया जाना चाहिए।
4. शामाजिक कल्याण, जन कल्याण को बढ़ावा मिलना चाहिए।
5. इस आयोग ने नए सिरे से शाड़ों का पुनर्गठन किया और पूर्ववर्ती 4 श्रेणियों (A, B, C, D) को शमाप्त किया। 2 श्रेणियां (शाड्य व शंघ शासित प्रदेश) दखल गयी।
 - 1 नवम्बर 1956 से भारत में 14 शाड्य व 6 शंघ शासित प्रदेश बनाए गए।

- 1960 में गुजरात को छलग कर दिया गया तथा शेष भाग 'महाराष्ट्र' कहलाया।
- 1963 में नागालैण्ड को छलग राज्य का दर्जा दिया गया।
- 1966 में हरियाणा (हिन्दी भाषा के आधार पर), पंजाब (पंजाबी भाषा के आधार पर), चंडीगढ़ (केन्द्रशासित प्रदेश) बनाया गया।
- 1971 में हिमाचल प्रदेश को छलग राज्य का दर्जा दिया गया।
- 1973 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को छलग राज्य का दर्जा दिया गया।
- 1974 में 35 में संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को शहायक राज्य घोषित किया गया।
- 1975 में 36 में संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्णतया: भारत में शामिल कर लिया।
- 1987 में मिजोरम, गोवा, अस्सीचल प्रदेश को छलग राज्य का दर्जा दिया गया।
- 2000 में छत्तीशगढ़ (मध्यप्रदेश से), उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश से), झारखण्ड (बिहार से) को छलग राज्य का दर्जा दिया गया।
- 2014 में तेलंगाना (आंध्रप्रदेश से) को छलग राज्य का दर्जा दिया गया।

**भाग 3 :- मूल अधिकार
(अनुच्छेद 12 - 35)**

- संविधान के भाग 3 को 'भारत का मेगाकार्ट' की ढंजा दी गयी है।

अनुच्छेद	विषय
अनुच्छेद 12	राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद 13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
अनुच्छेद 14 - 18	समता का अधिकार
अनुच्छेद 19 - 22	स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 23 - 24	शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 25 - 28	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 29 - 30	संस्कृति और शिक्षा अधिकार
अनुच्छेद 31	सम्पत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 32 - 35	संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा :- इसके तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। इसके तहत राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं- भारत की संसद, केन्द्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, सभी स्थानीय

निकाय और नगरपालिकाएं, पंचायत, ज़िला बोर्ड, सुधार न्याय आदि। अन्य क्षमी निकाय और वैद्यानिक या गैर वैद्यानिक प्राधिकरण जैसे- LIC, ONGC, SAIL etc. इस तरह राज्य को विश्वतृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाईयों के कार्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, किसी भी उक्त निती इकाई या एजेंसी को, जो बौद्ध राज्य की काम कर रही हो, वह अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के अर्थ में आती है।

अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ :-

- अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी।
- दूसरे शब्दों में, ये न्यायिक समीक्षा योग्य है।
- 26 जनवरी, 1950 से पहले बनी वे क्षमी विधियाँ जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो ये विधियाँ उक्त दीमा तक शून्य मानी जाएंगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 के बाद बनी वे क्षमी विधियाँ जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो ये विधियाँ उक्त दीमा तक शून्य मानी जाएंगी जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। वर्तमान में यदि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जाता है तथा ऐसे में यदि 26 जनवरी 1950 से पहले बनी विधियों में विशेषाभास समाप्त हो जाता है तो 26 जनवरी 1950 से पहले बनी वे विधियाँ पुनः जीवित हो जाएंगी। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद बनी विधियाँ शून्य ही रहेंगी।
- अनुच्छेद 13 के अनुसार 'विधि' शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है।
 1. स्थायी विधियाँ, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित।
 2. अस्थायी विधियाँ जैसे- राष्ट्रपति या राज्यपाली द्वारा जारी अध्यादेश।
 3. कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधान जैसे- अध्यादेश, आदर्श, उपविधि, नियम, विनियम या अधियुक्त।
 4. विधि के गैर विधायी त्रैतों जैसे- विधि का बल एवं वाली रुढ़ि या प्रथा।

यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

यह शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को प्राप्त है कि वे किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर-संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है।

अनुच्छेद 14 - 18 शमता का अधिकार

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष शमता और विधियों का समान संरक्षण :-

- अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि शद्य, भारत के शद्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष शमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति यह वह नागरिक हो या विदेशी लोग पर यह अधिकार लागू होता है। विधि के समक्ष शमता का विचार ब्रिटिश मूल का है जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के शंविधान से लिया गया है।
- प्रथम नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा नकारात्मक प्रथम :- कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।
द्वितीय :- समान विधि के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है।
विना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध :-

- शद्य किसी नागरिक के विशेष केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर-
 1. दुकानों, शार्वजनिक भौजनालयों, होटलों और शार्वजनिक मरोंड़न स्थानों में प्रवेश या
 2. पूर्णतः या भागतः शद्य विधि से पोषित या शादारण जनता के प्रयोग के लिए उमर्पित कुओं, तालाबों, ज्ञानघाटों, लड़कों और शार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के लंबंद में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, शर्त के अधीन नहीं होगा।
- शद्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण-
 1. स्थानीय मिकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।
 2. बच्चों के लिए गिर्जाशाल की व्यवस्था।
- शद्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों या अनुशुद्धित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। (प्रथम शंविधान संशोधन से जोड़ा गया।)

• शद्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे लोगों या अनुशुद्धित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान शद्य से अनुदान प्राप्त, जिनी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। (अंतिम प्रावधान 93 में शंविधान संशोधन, 2005 द्वारा शामिल किया गया)

अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवशर की शमता :-

- शद्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवशर की शमता होगी।
- तीन अपवाद दिये गये हैं-
 1. संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है।
 2. शद्य नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
 3. विधि के तहत किसी संस्था या कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकती है।

अनुच्छेद 17 अस्तपृथ्यता का अंत :-

- अनुच्छेद 17 अस्तपृथ्यता को शमाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है।
- अस्तपृथ्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुशास दंगीय होगा।

अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत :- अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में चार प्रावधान करता है।

1. शद्य ऐना या शिक्षा संबंधी सम्मान के शिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी शद्य से कोई उपाधि श्वीकार नहीं करेगा।
3. कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, शद्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद की धारण करते हुए किसी विदेशी शद्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की शहमति के बिना श्वीकार नहीं करेगा।
4. शद्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी शद्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भैंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की शहमति के बिना श्वीकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19 - 22 अधिकार का अधिकार

अनुच्छेद 19 वाक्-अवतंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण :- अनुच्छेद 19 शभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है ये हैं-

1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की अवतंत्रता
2. शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार
3. संगम या संघ बनाने का अधिकार
4. भारत के राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय अबादी संचरण का अधिकार
5. भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार
6. कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

अनुच्छेद 19(A) वाक् एवं अभिव्यक्ति की अवतंत्रता

:- उच्चतम न्यायालय ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की अवतंत्रता में निम्नलिखित को समिलित किया हैं-

1. अपने या किसी द्वारा के विचारों को प्रशारित करने का अधिकार।
2. प्रेस की अवतंत्रता
3. व्यावसायिक विज्ञापन की अवतंत्रता
4. फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार प्रशारित करने का अधिकार अर्थात् राजकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है।
5. किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार
6. राजकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार
7. शांति का अधिकार
8. चुप रहने का अधिकार
9. किसी द्वारा पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार
10. प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड्डाल का अधिकार नहीं है।

राज्य वाक् एवं अभिव्यक्ति की अवतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

1. भारत की एकता एवं सम्प्रभुता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध
4. शार्वजनिक आदेश
5. नैतिकता की स्थापना
6. न्यायालय की अवमानना
7. किसी द्वारा अपराध में संलिप्तता

शांतिपूर्वक सम्मेलन की अवतंत्रता :-

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं-

शार्वजनिक बैठकों में आग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन

- राज्य संगठित होने के अधिकार पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है-
 1. भारत की एकता अखण्डता एवं शार्वजनिक आदेश
 2. संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण

संगम या संघ बनाने का अधिकार :-

• शभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा संघकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल हैं- राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कम्पनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की द्वारा इकाई बनाने का अधिकार।

- यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन् उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।
- इस अधिकार पर राज्य द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जाता है। यह प्रतिबंध लगाने का आधार इस प्रकार है-
 1. भारत की एकता एवं सम्प्रभुता
 2. शार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता
- उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड्डाल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अबादी संचरण की अवतंत्रता :-

• यह अवतंत्रता प्रत्येक नागरिक का देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करती है। वह अवतंत्रतापूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कर सकता है।

- यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत नागरिकों के लिए एक है।
- इस अवतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं-
 1. आम लोगों का हित
 2. किसी द्वारा सुरक्षा या हित की ज़रूरती की सुरक्षा या हित।

निवास का अधिकार :-

- हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं-
 1. देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार
 2. देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार - इसका तात्पर्य है कि वहां घर बनाना एवं स्थायी रूप से बसना।
- इस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं-
 1. विशेष रूप से आम लोगों के हित में।

2. अनुशूलित जनजातियों के हित में ।

व्यवसाय आदि की व्यवस्था :-

- उम्री नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है ।
- किसी पेशे या व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यता की ज़रूरी ठहरा सकता है ।
- शब्द्य किसी व्यापार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से व्यवसाय जारी रख सकता है ।

शूचना का अधिकार :-

- शूचना का अधिकार (Right to Information) की शुरूआत अर्वप्रथम 1776 में श्वीडन में हुई ।
- शूचना का अधिकार की शुरूआत भारत में अर्वप्रथम राजसमन्वय से हुई ।
- मजदूर किशन शक्ति टंगठन की प्रमुख - अरुणा रौय
- व्यापार कर्त्त्व में अरुणा रौय ने अपना पहला लम्मेलन किया इनके प्रयासों से राजस्थान सरकार ने अर्वप्रथम 2000 में शूचना का अधिकार लागू किया ।
- 2005 में केन्द्र सरकार ने शूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया और इसके तहत एक शूचना आयोग की शुरूआत की गयी जिसमें 1 अध्यक्ष और अधिकतम 10 शब्दस्य हो सकते हैं ।
- वर्तमान में शूचना आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 शब्दस्य हैं ।
 - प्रथम शूचना आयुक्त - वजाहत हबीबुल्ला
- शूचना आयोग के शब्दस्यों की नियुक्ति एक समिति की शिफारिश के आधार पर शष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
 - समिति के शब्दस्य - प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री
 - इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आयु अधिकतम 65 वर्ष होती है ।
 - लाभ के पद पर कार्य नहीं करते होने चाहिए ।
- प्रत्येक विभाग में लोक शूचना अधिकारी (PIO) होगा एवं बड़ी अंतर्धान होने पर एक शहायक लोक शूचना अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है ।
- इसके तहत शूचना देने की अधिकतम अवधि 30 दिन की रखी गयी है ।
- इसके तहत यदि आवेदन पत्र शहायक शूचना अधिकारी को दी जाती है तो अधिकतम 35 दिन के अन्दर शूचना उपलब्ध करवायी जाएगी ।

- यदि भीजी गयी शूचना अधिकारी के अन्तर्गत नहीं आती है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह 5 दिनों के अंदर-अंदर उस आवेदन पत्र को अंबंधित अधिकारी के पास भेजे ।
- अंबंधित अधिकारी को जब वह आवेदन पत्र प्राप्त हो जाता है तो उसे अधिकतम 30 दिन का अधिकार प्राप्त होगा ।
- जीवन एवं अवधि दो अंदर में (अष्ट्राचार व मानवाधिकार) शूचनाएं मांगी जा सकती हैं । यह 45 दिन में अपनी शूचनाएं उपलब्ध करवायेंगे ।

शूचना के अधिकार के लाभ :-

1. शूचना के अधिकार को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है ।
2. यह 'मील का पथ' एवं एक 'क्रांतिकारी घटना' है ।
3. इससे सरकारी कार्यपाली में पारदर्शिता को प्रोत्तोषन मिलेगा ।
4. इससे जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी ।
5. उससे जनता के प्रति सरकारी जवाब देयता में झुड़ार होगा ।
6. इससे सरकारी काम काज में तेजी आएगी ।
7. इससे अष्ट्राचार में कमी आएगी ।
8. इससे शासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी ।
9. इससे शासन के प्रति जनता का झुड़ाव अधिक होगा तथा जनता में शक्तियां की भावना बढ़ेगी ।

शूचना के अधिकार की हानियां :-

1. अधिकांश जनता राजनीतिक जागरूकता से वंचित है । अतः वे RTI एक्ट के बारे में जागरूक नहीं हैं इससे सरकार पर 'काम के बोझ' में वृद्धि हुई है ।
2. प्रशासनिक कार्य में अधिकांश काम लिखित में होता है, अभी भी मरीनीकृत नहीं हो पाया है इसलिए इतनी शारी शूचनाएं एकत्रित करना कठिन काम हो जाता है ।
3. सरकारी कार्यालयों की परम्परागत कार्यशैली की बदलने में अभी समय लगेगा ।
4. शूचना के अधिकार के तहत शब्दों बड़ा मुद्दा यह है कि इसके तहत राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए या नहीं ।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषरिक्षि के टंबंध में संरक्षण :-

1. व्यक्ति ने जिस अमय अपराध किया, उस अमय की विधि के तहत ही शाजा दी जा सकती है।
2. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है।
3. किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति का इवं अपने विरुद्ध शाक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक इत्यतंत्रता का टंरक्षण :-

अनुच्छेद 21 में घोषणा की गयी है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक इत्यतंत्रता से विद्या द्वारा इथापित प्रक्रिया के अनुशार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

1978 से पहले गोपालग बनाम मद्रास राज्य (1950) :- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। इसके द्वारा दिए गए निर्णय को आधार बनाया गया तथा इसमें विधि के द्वारा इथापित प्रक्रिया को महत्व दिया गया था। यह देखा जाता था कि कार्यपालिका ने विधि के अनुरूप कार्य किया है अन्यथा नहीं। इसके तहत कार्यपालिका की मिरकुंश कार्यवाही के विरुद्ध टंरक्षण दिया जाता था।

1978 के बाद मेनका गांधी बनाम भारत राजकार (1978) :- उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बदल दिया और इसमें विधि के द्वारा इथापित प्रक्रिया के इथान पर विधि की अम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को अपनाया गया।

इसमें कानून के शब्दों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय को भी आधार बनाया गया और कार्यपालिका के शास्त्रीयों के साथ-साथ विद्यायिका के कार्यों की शमिक्षा को भी शामिल किया गया है। इससे न्यायिक शर्वोच्चता इथापित होती है तथा इससे अनुच्छेद 21 की प्राण व दैहिक इत्यतंत्रता के अधिकार की उदार व्याख्या शंभव है।

संविधान लागू होने के बाद शर्वोच्च न्यायालय ने शब्दों उदार व्याख्या अनुच्छेद 21 की की है। इसकी शब्दों व्यापक व्याख्या की गयी है। यहां शर्वोच्च न्यायालय के अनुशार- जीवन का तात्पर्य केवल जीवन पूरा करना नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गणिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना है। गणिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए इसमें आवश्यक वस्तुएं जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 21 में 27 चीजें जोड़ी गयी हैं। जैसे- मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, इवच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, इवाई का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित

शुगवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, हिंसात में शोजण के विरुद्ध अधिकार, शुगवाई का अधिकार, शूदगा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार आदि।

अनुच्छेद 21(क) शिक्षा का अधिकार :-

- अनुच्छेद 21(क) में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अन्तर्गत है न कि उच्च या व्यावशायिक शिक्षा के अंदर्भी में।
- 86 वां संविधान अंशीधान 2002 में जोड़ा गया।

अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण :-

पहला भाग :- “साधारण कानूनी मामले”

- उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिंसात में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है।
 1. उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा।
 2. उसे विधिवेता की शलाह लेने का अधिकार होगा।
 3. उसे 24 घंटे के भीतर ज़ज के शामने पेश किया जाएगा। (यात्रा का अमय शामिल नहीं होता)
- उपर्युक्त कानून दो तरह के लोगों को प्राप्त नहीं हैं।
 1. शत्रु देश के नागरिक की
 2. निवारक निरोध कानून के तहत हिंसात में लिए हुए व्यक्ति की।

दूसरा भाग :- “निवारक हिंसात के मामले”

- अनुच्छेद 22(2) केन्द्रीय विधानमंडलों तथा राज्य विधानमंडलों को निवारक निरोध कानून बनाने की अनुमति देता है। यदि शंखद को लगता है कि लोकव्यवस्था, राष्ट्रीय शुरुआत, वर्तुलों और लोकाओं की आपूर्ति को नुगिश्यित करने के लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो तो यह कानून बनाया जा सकता है।
- इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपराध को रोकना होता है। पर्याप्त शाक्षों के अभाव में मात्र शंखद के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के अमंक्ष पेश किए लगातार 3 माह तक हिंसात में रखा जा सकता है और शलाहकार बोर्ड का गठन करके हिंसात की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- बोर्ड - शलाहकार बोर्ड के शदर्य, उच्च न्यायालय के ज़ज़, उच्च न्यायालय के 'X' ज़ज़, उच्च न्यायालय

के योग्य तजि निवारक निरोध कानून, जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है।

1. निवारक निरोध अधिनियम - 1950, जो 1969 में समाप्त हो गया।
2. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) 1971, जिसे 1978 में निरप्रित कर दिया।
3. विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यापार निवारण अधिनियम (COFEPOSA) 1974
4. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NASA) 1980
5. योरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (PBMSECA) 1980
6. आतंकवादी और विद्वन्शक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (TADA) 1985 - यह 1995 में समाप्त हो गया।
7. आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA) 2002 - यह 2004 निरस्त कर दिया गया।

अनुच्छेद 23 - 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध :-

- अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार (बलात् श्रम) और इसी प्रकार के इन्हें बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा।
- यह किसी व्यक्ति को ज केवल शड्य के खिलाफ बलिक व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- लेकिन आपात स्थिति में शड्य अपने नागरिकों से अनिवार्य लेवाएं प्राप्त कर सकता है लेकिन इस तरह की लेवाएं लेने में शड्य द्वारा धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध :-

- अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियां यथा निर्माण कार्य अथवा ऐलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
- 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों डैसी-होटलों, ऐतरास दुकानों, कारखानों, रिसार्ट, इत्या, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है।
- कंशीदारों में खतरनाक व्यवसायों में रोजगार के लिए बच्चों एवं किशोरों की आयु में वृद्धि कर दी गई है। डैसी कि खनन उद्योग में 14 के ल्थान पर 18 से

कम आयु के बच्चों - किशोरों को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 25 - 28 धार्मिक श्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अंबाद ऊपर से मानने, आचरण, प्रचार करने की श्वतंत्रता :-

- अंतःकरण की श्वतंत्रता :- किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने अंबाद को बनाने की आंतरिक श्वतंत्रता।
- मानने का अधिकार :- अपना धार्मिक विश्वास व आस्था की शार्वजनिक व बिना भय के द्वोषणा करने का अधिकार।
- आचरण का अधिकार :- धार्मिक पूजा, परम्परा, शमारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की श्वतंत्रता।
- प्रशार का अधिकार :- अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य की प्रशार व प्रशार करना या अपने धर्म के रिद्धान्तों को प्रकट करना।

अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की श्वतंत्रता :-

- अनुच्छेद 26 के अनुसार “धार्मिक व मूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार”।
- अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार
- जंगम व ल्थावर सम्पत्ति के अर्जन व ल्थामित्व का अधिकार, ऐसी सम्पत्ति का विद्यि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार

अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से श्वतंत्रता :-

- अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा व कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में श्वतंत्रता :-

- किसी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी लहसुनि के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा।
 1. सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

2. निजी संस्थाओं द्वारा धार्मिक शिक्षा की जा सकती है।
3. शरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में श्रमी की शहमति द्वारा धार्मिक शिक्षा की जाएगी और यदि शहमति नहीं बने तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद 29 - 30 संरकृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संरकृति की सुरक्षा :-

- श्रमी अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे अपनी लिपि संरकृति, भाषा को बयाए रखने तथा बनाए रखने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं।

अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार :-

- अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संरकृति को बयाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंधन कर सकता है।
- उद्देश्य :- अल्पसंख्यकों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करना तथा सांरकृतिक विविधता की संरक्षण देना है।

अनुच्छेद 31 सम्पति का अधिकार :-

- सम्पति के अधिकार को निश्चित कर दिया गया है। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को अनुच्छेद 300(A) में डाल दिया गया है।
 1. 31 (A) - भूमि सुधार व सम्पति अधिग्रहण द्वारा संबंधित प्रावधान (पहले संविधान संशोधन द्वारा)
 2. 31 (B) - 9 वीं अनुशूली को विधिक संरक्षण दिया गया है।
 3. 31 (C) - अनुच्छेद 31 (B) & (C) को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। (25 वां संविधान संशोधन 1971) ये उपयुक्त तीर्णों श्रमी भी अस्तित्व में हैं।

अनुच्छेद 32 - 35 रवैधानिक उपचारों का अधिकार

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे 'संविधान की आत्मा' कहा है।

अनुच्छेद 32 रिट जारी करने का अधिकार:- इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण :- इसके तहत जिस किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। उसे लशरीर न्यायालय में पेश करना। यदि किसी व्यक्ति को अनाधिकृत/गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया जाता है तो यह रिट जारी की जाती है।

परमादेश :- यह केवल शरकारी/शरजनीतिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है।

नोट :- शष्ट्रपति और शडयपाल के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जाता।

प्रतिजेद्य :- यह उच्चतर न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके तहत अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी केस (विवाद) को अपने पास मंगाया जाता है। यह तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्यक्रोत्र से बाहर जाकर कार्य करता है।

उत्प्रेषण :- यह उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि मामले की सुनवाई हो चुकी है तो इस विधित में यह रिट जारी की जाती है और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से उस केस को अपने पास मंगवाता है। यह कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। लेकिन संसद/विधायिका के प्रति जारी नहीं की जा सकती।

अधिकार पृच्छा :- यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है जिसकी योग्यता उसमें नहीं है। इस रिट के द्वारा न्यायालय उस व्यक्ति से उसके पद की नियुक्ति का कारण पूछता है।

नोट :- नियुक्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जाती। केवल शरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है।

शर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के रिट जारी करने में अंतर :-

क्र. सं.	सुप्रीम कोर्ट	हाई कोर्ट
	सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकते हैं।	हाई कोर्ट मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
	अनुच्छेद 32 द्वारा मूल अधिकार 226 मूल अधिकार नहीं है। इसलिए अपनी इच्छा से रिट जारी कर भी सकता है या नहीं भी।	अनुच्छेद 226 मूल अधिकार नहीं है। यह अपनी इच्छा से रिट जारी कर भी सकता है या नहीं भी।
	आपातकाल के समय यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 को निलम्बित कर दे तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन में शर्वोच्च न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता है।	आपातकाल के समय अनुच्छेद 226 का निलम्बन नहीं होता। अतः उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है।
	शर्वोच्च न्यायालय का दायरा सीमित होता है।	उच्च न्यायालय का दायरा विस्तृत है।

अनुच्छेद 33 :- अनुच्छेद 33 में शशांक बल, पुलिस गुप्तचर विभाग, द्रूतगत्यार के पदार्थीन व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है।

अनुच्छेद 34 :- मार्शल लॉ लागू क्षेत्र में मूलाधिकार कम किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 35 :- शंशद विधि बनाकर मूलाधिकारों को सीमित कर सकती है।

भारतीयों को (भारतीय नागरिक) को प्राप्त मूल अधिकार :- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30

केवल विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर) :- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अतिरिक्त अन्य शाश्वत अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं।

मूल अधिकारों में शंशोधन का मुद्दा :- शंशद विधि लागू होते ही मूल अधिकारों में शंशोधन का मुद्दा विवादित हो गया क्योंकि-

1. अनुच्छेद 13(2) यह प्रावधान करता है कि शंशद किसी विधि द्वारा मूल अधिकार कम नहीं कर सकती।

2. अनुच्छेद 368 शंशद के शंशोधन के किसी भी आग में शंशोधन करने की शक्ति देता है।

इब प्रश्न उठता है कि क्या शंशद अनुच्छेद 368 के तहत शंशोधन में शंशोधन करके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है या नहीं।

दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 368 के तहत किये गए शंशोधन शंशोधन को भी विधि माना जाये या नहीं।

1. शंकरी प्रसाद बनाम भारत शरकार 1951 :-

- शर्वोच्च न्यायालय के शमक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या शंशद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में शंशोधन कर सकती है अथवा नहीं।
- अनुच्छेद 368 के तहत किया गया शंशोधन शंशोधन भी एक प्रकार की विधि है तथा अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर भी लागू होता है।
- शर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया शंशोधन विधि नहीं है। अतः शंशद को यह पूरा अधिकार है कि वह मूल अधिकारों में भी शंशोधन कर सकती है।

2. शडजन रिंह बनाम राजस्थान शरकार 1965 :-

- इसमें भी शर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय का अनुमोदन किया और यह दोहराया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया शंशोधन विधि नहीं है। अतः शंशद को यह पूरा अधिकार है कि यह मूल अधिकारों में भी शंशोधन कर सकती है।

3. गोलखनाथ बनाम पंजाब शरकार 1967 :-

- इसके तहत शर्वोच्च न्यायालय ने अपने दोनों पूर्ववर्ती निर्णय को उल्ट दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया शंशोधन शंशोधन भी एक प्रकार की विधि है और अनुच्छेद 13(2) इस पर यह शोक लगती है। अतः मूल अधिकारों का शंशोधन शंशोधन नहीं किया जा सकता और इसके तहत ही अविष्य लक्ष्यी का प्रभाव का रिष्ट्रान्ट दिया गया तिसके तहत इस निर्णय का प्रभाव अविष्य में होने वाले शंशोधनों पर ही लागू होगा अर्थात् पूर्ववर्ती शंशोधन बने रहेंगे।

4. 24 वां शंशोधन 1971 :-

- इसके तहत अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(1) नए जोड़े गए।
- अनुच्छेद 13(4) के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया शंशोधन शंशोधन विधि नहीं है तथा इसके मूल अधिकारों में भी शंशोधन किया जा सकता है।